


### प्रारूप-5

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर में जैधार बैण्ड से माछनी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।

### परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की गयी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया गया है।

  
सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर।

  
अधिशाली अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर।

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

बावरी संख्या... 1257  
फाइल नं०... 15  
दिनांक... 27/7

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 21 जून, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न 08 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र0का0, लोक निर्माण विभाग, टिहरी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के 08 कार्यों के आगणनों, जिनकी लम्बाई 28.50 किमी0 तथा कुल लागत रू0 176.84 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 176.84 लाख (रू0 एक करोड़ छियत्तर लाख चौससी हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु प्रति कार्य रू0 0.10 लाख अर्थात् 08 कार्यों हेतु रू0 0.80 लाख (रू0 अस्सी हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसके समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

Photo Copy Attested

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

Assistant Engineer  
T.D. P.W.D. Srinagar  
H.Q. - Kirtinagar

P.C. Attested

(vi)- स्वीकृत किये जाने वाले कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0की0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22 लेखाशोधक-5054 तड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत व्यय के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2020 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा संतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 124/XXVII(2)/2019 दिनांक 19 जून, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस०एस० टोलिया)   
 संयुक्त सचिव

संख्या-2277/11(2)/19-10(एम०एल०ए०)/2017टी०सी०। तदुदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, टिहरी।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

कार्यालय

मुख्य अभियन्ता (टिहरी-क्षेत्र)

लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी

सं० सं० 1434 / 159 माल - 10 / 2019

दि०-24-06-20/19

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)   
 उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(1) अधीक्षण अभियन्ता व पूर्व वृत्त लो०मि०वि० नई टिहरी।

(2) अधिशासी अभियन्ता संख्या 2305 लो०मि०वि० कीर्तिनगर।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer   
 T.D. P.W.D. Srinagar   
 H.Q. - Kirtinagar

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी   
 कार्यालय मुख्य अभियन्ता (टिहरी)   
 लोक निर्माण विभाग टिहरी

24-6-19

शा0 संख्या- 2277/11(2)/19-10(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0। दिनांक 21 जून, 2019 का संलग्नक

( धनराशि लाख रू0 में )

क्र.सं	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत रिंगोली मल्ली से डांग-हलपाड़ा- कल्याणी-किमखर-ओखली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	6.00	25.26	0.10
2	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत जगठी से कुरौली होते हुए जाली (किमखोला) तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	47.25	0.10
3	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम पलेठी (डोबलियालों की) स्थित शिवालय तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	28.17	0.10
4	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के अन्तर्गत कक्कड़ पाली से बांगा पानी होते हुए लूसी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	14.87	0.10
5	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गहड में मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.50	31.34	0.10
6	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम डांब के उपग्राम पाटियों हेतु गोमुख से मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1.00	3.38	0.10
7	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत घिलेडी-मणजूली मोटर मार्ग के कि0मी0 6 हे0मी0 2.4 से चौरीखाल-सिरवालडी-काण्डा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	13.04	0.10
8	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में जेधार बेंड से माछनी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	13.53	0.10
योग:-		28.50	176.84	0.80

(कुल रू0 अस्सी हजार मात्र)

P.C. Anand

उप सचिव

जिला पंचायत

कीर्तिनगर डि. ड.

(जीवन सिंह)  
उप सचिव

Photo Copy Attested

Assistant Engineer  
T.D. P.W.D. Srinagar  
H.Q. - Kirtinagar